राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

वाद संख्या–47 / 2024

संतोष कुमार बनाम् कंचन कुमार साह एवं अन्य।

19.11.2026

इस वाद की सुनवाई **दिनांक–18.11.2026** को हुई, जिसमें वादी श्री संतोष कुमार स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे विलम्ब से उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री शैल दशन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बाद में भूलवश बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(i) के स्थान पर धारा–25(5) अंकित हो गया है, जिसे संशोधित करने हेतु लिखित अनुरोध किया गया है। आयोग द्वारा उनके लिखित अनुरोध को स्वीकार किया गया।

यह वाद अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध था, परन्तु प्रतिवादी के विलम्ब से उपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं की जा सकी। नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत प्रतिवादी को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता हैं। यदि अगली सुनवाई में भी प्रतिवादी अनुपस्थित रहते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

प्राधिकृत पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आयोग की इस आदेश का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को करा दी जाए। आदेश का अनुपालन हेतु इस आदेश की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली को प्रेषित कर दी जाए।

तदनुसार सुनवाई की **अंतिम तिथि–25.11.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11:30** में सुनिश्चित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

ह0 / –

(डॉ0 दीपक प्रसाद)

19.11.2026

ज्ञापांकः–47 / 20224.....4524...../ **पटना, दिनांकः–**20/11/26

प्रतिलिपिः–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **वैशाली** / श्री शैल दसन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **वैशाली** को सूचनार्थ एवं आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांकः–47 / 20224.....4524...../ **पटना, दिनांकः–**20/11/26

प्रतिलिपिः–**वादी** श्री संतोष कुमार, पिता–स्व0 राजेश्वर प्रसाद, (वर्तमान उप मुख्य पार्षद नगर परिषद,लालगंज) पता–मोहम्मद प्रेमगंज, वार्ड संख्या–05, थाना+ पोस्ट–लालगंज, **जिला–वैशाली** **प्रतिवादी** श्री कंचन कुमार साह, पिता–स्व0 राजेन्द्र साह, पता–मोहम्मद शाहपुर कासीम, वार्ड संख्या–16, थाना+ पोस्ट–लालगंज,(वर्तमान मुख्य पार्षद नगर परिषद, लालगंज) **जिला–वैशाली** को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांकः–47 / 20224.....4524...../ **पटना, दिनांकः–**20/11/26

प्रतिलिपिः–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

इस पत्र के सत्यापन हेतु क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करें।